न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 05/2019

1 कुरड़ाराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बनारसी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद।
2 जमनी देवी पत्नी चुनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर बमुकदमा श्रीमती बनारसी देवी बनाम कुरड़ाराम आदि मुकदमा नम्बर 64/2018 आदेश दिनांक 22.01.2019 पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 1.38 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें से प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा है व उसके खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की है तथा मौतबिरान के समक्ष कब्जा प्राप्त कर मौके पर काबिज है। विक्रेता महावीर व अप्रार्थी संख्या 01 भाई व 2 उनकी मां है जो अर्सा करीब 25 वर्ष पूर्व अलग–अलग हो गये थे तथा उसी समय बाहमी बंटवारा कर लिया था। उसके अनुसार पश्चिमी ओर का 1/3 हिस्सा यानि 0.44 हैक्टेयर की भूमि विक्रेता के हिस्से मे आई थी शेष पूर्वी ओर की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हिस्से में आई थी जिसमें वह आवासीय ढ़ाणी बनाकर कर आबाद है। पश्चिमी हिस्से पर प्रार्थीया आज तक काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से की भूमि को समतल आदि करवा कर उपजाऊ बनाया है। राजस्व रिकार्ड मे नाम शामिल में होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई जिसके तहत प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा है तथा कच्चा पक्का निर्माण करने पर आमादा है। यदि वह अपने इस उदेश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। अत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सहकाश्तकारी की है विधि अनुसार सहकाश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरित है। प्रार्थीया अजनबी केता है। जिसे बिना विधिवत विभाजन के सहकाश्तकारी की भूमि में कब्जा करने का अधिकार नही है। विचाराधीन स्थगन की आड़ में अपीलांट को उसकी भूमियों पर आवासीय मकान निर्माण नही करने दिया जा रहा है। विचाराधीन स्थगन से हित प्रभावित हो रहे है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार से जरिये पंजिकृत विकय पत्र 1/3 हिस्से की भूमि कय कर खातेदार कातश्कार दर्ज हुई है। प्रार्थीया के पक्ष में निस्पादित विकय पत्र को अपीलांट द्वारा चुनौती दी गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर बिन्दुवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर